बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या व.सं. / 88 / 2021– 1075

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 15/12/2022

विषय – वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिलान्तर्गत हाजीपुर NH-22–बछवाड़ा NH-122B भाया महनार–मोहिउद्दीनगर (0.00–72.95 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 97.3934 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिलान्तर्गत हाजीपुर NH-22–बछवाड़ा NH-122B भाया महनार–मोहिउद्दीनगर (0.00–72.95 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ का प्रस्ताव वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर एवं सीवान अंचल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 97 / 91 (ई०) दिनांक 15.02.1994, अधिसूचना संख्या 189 / 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है।

2. विषयाधीन पथ के निर्माण में कुल 97.3934 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं कुल 10221 वृक्षों के प्रभावित होने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय तथा वन संरक्षक, सीवान एवं मुजफ्फरपुर अंचल, द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	कि०मी०	क्षेत्रफल (हे० में)	Tranlocate हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या	पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या
1	वैशाली	0.00–34.900=34.900 KM	35.7263	733	3020
1	समस्तीपुर	34.900–70.041=35.141 KM	58.5085	1731	4332
2	बेगूसराय	70.041–72.951=2.910 KM	3.1586	78	327
		कुल	**97.3934**	**2542**	**7679**

3. विषयाधीन परियोजना से संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में गठित, क्षेत्रीय सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना प्राप्त नहीं हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना अलग से भेजी जायेगी।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0.3, 03 एवं 0.4 से कम तथा तीनों वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र Stage-I पत्र में अधिरोपित शर्त्तों के अनुपालन के साथ भेजा जायेगा।

5. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

6. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 97.3934 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 200.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को चिन्हित किया गया है जिसमें बाँका वन प्रमंडल, बाँका के बौसी प्रक्षेत्र अन्तर्गत विरनिया PF में 100 हे० एवं जमुई वन प्रमंडल जमुई के झाझा वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत जामुखरैया PF में 50 हे० तथा चकाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत लखुवा, ढ़कवा बीचकोड़वा PF में 50 हे० के लिये वृक्षारोपण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका एवं जमुई से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 97.3934 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 12.28590 लाख प्रति हे० के दर से रू० 9,32,81,451 /– (रूपये नौ करोड़ बत्तीस लाख इक्कासी हजार चार सौ एकावन) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 97.3934 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 200.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को चिन्हित किया गया है जिसमें बाँका वन प्रमंडल, बाँका के बौसी प्रक्षेत्र अन्तर्गत विरनिया PF में 100 हे० एवं जमुई वन प्रमंडल जमुई के झाझा वन प्रक्षेत्र अन्तर्गत जामुखरैया PF में 50 हे० तथा चकाई प्रक्षेत्र अन्तर्गत लखुवा, ढ़कवा बीचकोड़वा PF में 50 हे० के लिये कुल रू० 4,50,99,803/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143
ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

ज्ञापांक– व.सं. / 27 / 2017– 1075 दिनांक– 15/12/2022

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ / वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिलान्तर्गत हाजीपुर NH-22–बछवाड़ा NH-122B भाया महनार–मोहिउद्दीनगर (0.00–72.95 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 97.3934 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
6	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय द्वारा उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की गणना सूची।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका एवं जमुई द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका एवं जमुई द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
11	वन संरक्षक, सीवान एवं मुजफ्फरपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
12	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

15/12/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143

ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com